भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2089
दिनांक 14.03.2023 / 23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीएमएफ जारी करना

†2089. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्री राहुल रमेश शेवालेः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

श्री चंद्र शेखर साहूः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) जारी करने के लिए आवेदन करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या एसडीएमएफ के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई है और ऐसे राज्यों को तदनुसार धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार, विशेष रुप से महाराष्ट्र और औडिशा का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रुप दिया जाएगा;

(ङ) क्या यह सच है कि अत्यधिक आपदा-संभावित राज्य ओडिशा को ध्यान में रखते हुए एसडीएमएफ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है; और

(च) एसडीएमएफ के अंतर्गत केंद्र सरकार के हिस्से के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है और एसडीएमएफ जारी करने के लिए राज्य की अपील को मंजूरी देने के मानदंड क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): 15 वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित सिफारिशें की थीं, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने राज्यवार आवंटन के लिए एक नई पद्धति अपनाई थी, जो व्यय संचालित पद्धति को प्रतिस्थापित करती है। नई कार्यप्रणाली, क्षमता (जैसा कि पिछले व्यय के माध्यम से परिलक्षित होता है), जोखिम अनावरण (क्षेत्र और जनसंख्या) और खतरे और भेद्यता (आपदा जोखिम सूचकांक) के प्रति संवेदनशीलता का संयोजन है। केंद्र सरकार ने दिनांक

05.02.2021 को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) का गठन किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) स्थापित करने की सलाह दी है। अब तक, 25 राज्यों ने एसडीएमएफ की स्थापना करने की सूचना दी है। एसडीएमएफ के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 32,031 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एसडीएमएफ में आवंटित निधियों के केंद्रीय अंश और राज्य अंश तथा विभिन्न राज्यों को उससे जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

एसडीएमएफ में आवंटन/उससे निधि जारी करने के मानदंड के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि एसडीएमएफ के कॉर्पस में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएंडएच) राज्यों के लिए इसमें 90:10 के अनुपात का अंशदान किया जाता है। एसडीएमएफ में केंद्रीय अंश, दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, दो समान किस्तों में समय पर जारी किया जाना होता है। राज्यों को एसडीएमएफ से निधियां, न्यूनीकरण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार, "आपदा अथवा खतरनाक आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए जाने वाले उपाय" के रूप में जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एसडीएमएफ से निधियों का संवितरण, एसडीएमएफ से सहायता के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है, जो राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए हैं और गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov पर उपलब्ध हैं।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 2089 दिनांक 14.03.2023

अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान एसडीएमएफ में आवंटन और उससे जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**एसडीएमएफ में राज्य के अंश सहित आवंटन**			**एसडीएमएफ से जारी किया गया केंद्रीय अंश**		
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	आंध्र प्रदेश	298.20	298.20	313.20	223.80	223.80	--
2	अरुणाचल प्रदेश	55.60	55.60	58.40	50.00	50.00	--
3	असम	171.60	171.60	180.20	154.40	154.40	--
4	बिहार	377.60	377.60	396.60	283.20	283.20	--
5	छत्तीसगढ़	115.20	115.20	121.00	86.40	86.40	--
6.	गोवा	3.00	3.00	3.20	2.40	--	2.40 #
7.	गुजरात	353.00	353.00	370.60	264.80	--	--
8.	हरियाणा	131.00	131.00	137.60	98.20	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	90.80	90.80	95.20	81.80	81.80	--
10.	झारखंड	151.40	151.40	158.80	113.60	--	--
11।	कर्नाटक	210.80	210.80	221.40	158.20	158.20	--
12.	केरल	83.80	83.80	88.00	62.80	62.80	--
13.	मध्य प्रदेश	485.40	485.40	509.60	364.00	364.00	--
14.	महाराष्ट्र	859.20	859.20	902.20	644.40	--	644.40 #
15.	मणिपुर	9.40	9.40	9.80	8.40	8.40	--
16.	मेघालय	14.60	14.60	15.20	13.20	13.20	--
17.	मिजोरम	10.40	10.40	10.80	9.40	--	9.40 #
18.	नागालैंड	9.20	9.20	9.60	8.20	8.20	--
19.	ओडिशा	427.80	427.80	449.20	320.80	320.80	--
20.	पंजाब	132.00	132.00	138.60	99.00	--	99.00 #
21.	राजस्थान	395.00	395.00	414.80	296.20	296.20	--
22.	सिक्किम	11.20	11.20	11.80	10.00	10.00	--
23.	तमिलनाडु	272.00	272.00	285.60	204.00	--	204.00 #
24.	तेलंगाना	119.80	119.80	125.80	89.80	--	--
25.	त्रिपुरा	15.20	15.20	15.80	13.60	13.60	--
26.	उत्तर प्रदेश	515.60	515.60	541.40	386.60	--	386.60 #
27.	उत्तराखंड	208.20	208.20	218.60	187.40	187.40	--
28.	पश्चिम बंगाल	269.60	269.60	283.20	202.20	202.20	--
	कुल	**5,796.60**	**5,796.60**	**6,086.20**	**4,436.80**	**2,524.60**	**1,345.80**

एसजीएमएफ के पिछले वर्ष के बकाया सहित